UPBJ180022272025

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), नगीना, बिजनौर।
सिविल वाद सं. 469/2025

यासीन बनाम शमशाद आदि

दिनॉकः–07–08–2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित है, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली रैप्लीकेशन/तन्कीह हेतु नियत है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 03–07–2025 को प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया परन्तु वादी द्वारा कोई रैप्लीकेशन दाखिल नहीं किया गया है न ही वादी आज उपस्थित हैं तथा न ही वादी की ओर से कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का रैप्लीकेशन दाखिल करने का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते वाद–बिन्दु विरचना लन्च बाद पेश हो।

(प्रतीक त्रिपाठी)
सिविल जज,(जू0डि0),
नगीना, बिजनौर।
आई.डी.सं0–UP03205

लन्च बाद

पत्रावली लन्च बाद पुनः पेश हुई। वादी अनुपस्थित है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किया गया, लेकिन न्याय मत से उक्त वाद किसी अन्य वैकल्पिक फोरम को सन्दर्भित किए जाने योग्य नहीं है। अतः पक्षकारों के विधि एवं तथ्यों की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित वाद बिन्दु विरचित किए जाते हैंः–

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित आराजी जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है?
2. क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित आराजी का मालिक, काबिज व दखील है?
3. क्या प्रस्तुत वाद अल्पमूल्यांकित है?
4. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
5–क्या दावा वादी विबन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त से बाधित है?
6– क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपर्युक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है, न ही पक्षकार द्वारा बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद–बिन्दु सं.3 व 4/निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग दिनांक 07–10–2025 के पेश हो।

(प्रतीक त्रिपाठी)
सिविल जज,(जू0डि0),
नगीना, बिजनौर।
आई.डी.सं0–UP03205